2011/00008

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 45/2011

प्रार्थी

जबरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलूण तहसील, सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण

1.मालमसिंह पुत्र आम्बसिंह
2.गणपतसिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपूत निवासी मिठोड़ा तहसील,सिवाना
3.ग्राम पंचायत सिवाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 04 दिनांक 09.06.2011 जो ग्राम पंचायत,सिवाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थितः– 1.श्री हुकमसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2.अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित,अधिवक्ता उपस्थित।
3.अप्रार्थी सं.03 उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मालमसिंह, गणपतसिंह ने एक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम सिवाना की आबादी भूमि में उनका कब्जा सुदा भूखण्ड 13X77=1001वर्ग फीट का आया हुआ है, जिसका पट्टा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये नियमानुसार पट्टा जारी करने की कृपा करावें। इस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्रावली संख्या 09 कायम कर अप्रार्थी मालमसिंह व गणपतसिंह के नाम नियम 157(1)(ख) के तहत पट्टा संख्या 04 दिनांक 09.06.2011 को जारी किया। प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के नाम जारी पट्टा की भूमि उसकी स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थी का कब्जा है। इस पट्टा विलेख को अपने स्वामित्व एंव आधिपत्य व नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए प्रार्थी ने यह धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सोलंकी ने दिनांक 24.07.2012 को जवाब पेश कर निगरानी के पद संख्या 01 से 06 व 08 गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का निगरानी आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी अनुपस्थित रहा। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीनी संख्या 03 उपस्थित रही। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

5. .हमने उभय पक्ष को सुना। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई। ग्राम पंचायत सिवाना से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी पट्टा में 60X 13 वर्ग फीट भूमि प्रार्थी के कब्जे की भूमि आती है। वादगस्त भूमि 17.8.1994 से पूर्व मदनलाल पुत्र फरसराम जाति खण्डेलवाल निवासी सिवाना के पिता के समय का मालिकाना व पुराने कब्जे का भूखण्ड आया हुआ था जिसको प्रार्थी ने दिनांक 13.08.2007 को मदनलाल से व उसकी पत्नि मंजूदेवी से खरीद किया था। जिस पर मालिकाना व पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत सिवाना से उसके पक्ष मे दिनांक 16.8.2011 को 2606,7/8 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का यह कथन है कि कस्बा सिवाना में मोकलसर रोड पर स्व.हंसराज खण्डेलवाल का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है जो उसके देहान्त पर विरासत में उनके वारिशान सुरेश कुमार, अशोक कुमार, महेन्द्रकुमार पिसरान हंसराज व मुस्मात कंपूदेवी बेवा हंसराज को प्राप्त हुआ जिन्होने अपनी कदीमी कब्जे का भूखण्ड प्रतिफल की राशि लेकर दिनांक 05.09.2007 को कब्जा क्रेता अप्रार्थीगण को सौप दिया जिस पर ग्राम पंचायत में आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन पर मौके की जॉच एंव भौतिक कब्जे व स्वामित्व के आधार पर पट्टा संख्या 4 दिनांक 09.6.2011 को उनके पक्ष में विधि सम्मत पट्टा जारी किया गया है। भूमि से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का है ऐसी स्थिति में इस बिन्दु के निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हक मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है। इस

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवेदन पत्र पर नक्शा भी पेश किया गया हैं। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर मिसल कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। इस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पचात् प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 06.06.2011 को नियम 157(1)पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में दिनांक 09.06.2011 को पट्टा संख्या 04 जारी किया गया। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप एंव अप्रार्थीगण का सुस्थपित कब्जा एंव रहवास के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि ग्राम पंचायत सिवाना ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हक में नियम 157(1)(ख) के तहत पट्टा विलेख दिनांक 09.06.2011 जारी किया है। जिसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी बलहीन एंव सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

सुरश